कार्यालय अधीक्षण यंत्री (परीक्षण एवं संचार)
म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, नागदा

क्रमॉक अ.यॅ./परी. एवॅ सॅचार/सिविल/ 1512

नागदा दिनॉक

(अल्पकालीन निविदा सूचना)

2 7 DEC 2018

लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन में प्रचलित दिनांक 01.08.2014 से लागू तथा अभी तक संशोधित एस.ओ.आर. जिसमें किसी सामग्री की लीड देय नहीं होगी, की दरों पर अधारित समतुल्य/कम/अधिक दरों पर प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपयुक्त ठेकेदार से निम्न कार्य मुहरबंद निविदाएं प्रपत्र "अ" में आमंत्रित की जाती है।

समस्त एस.ओ.आर. आयटम के लिए एक ही प्रकार की दर एवं नान एस.ओ.आर. आयटम्स के रेट अलग से दिये जावें। निविदाकारों व्दारा प्रस्तुत दरों में सभी कर जैसे सर्विस टेक्स, आयकर, वाणिज्य कर, रायल्टी, सेस इत्यादि भाामिल होंगे, अलग से किसी भी प्रकार का टेक्स देय नहीं होगा।

निविदा क्रमांक	उपकेन्द्र एवं कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि (लाख में)	बयाने की राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा क्रय करने/जमा करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ठेकेदार की वांछित श्रैणी
अधी/यंत्री/परी/संचार/ना/(सि)/58	220 के.व्ही. उपकेन्द्र नागदा पर स्ट्रक्चरल फाउण्डेशनों का सुधार एवं अन्य सिविल कार्य।	4.95	9900/-	02 माह	10.01.2019 11.01.2019	560/-	ब एवं उपर

नियम व शर्ते :–

1. योग्य तथा मण्डल/कंपनी में पंजीकृत एवं ई.पी.एफ. (कार्मचारी भविष्य निधि) में पंजीकृत तथा समान प्रकृति के कार्यों के अनुभवी ठेकेदारों को ही निविदा प्रपत्र कॉलम 7 में दर्शाई हुई राशि अथवा उतने मूल्य के डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो वरिष्ठ लेखाधिकारी म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि. **इंदौर** के पक्ष में देय हो, जमा करने पर निविदा जमा करने की तिथि के एक दिन पूर्व तक अधोहस्ताक्षरकार्ता के कार्यालय में कार्यालयीन समयावधि में जारी/विक्रय किये जायेंगें। दस्तावेज डाक द्वारा मंगाने पर रू. 100/– अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा।
2. भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनिमय) अधिनियम 1996 की धाराओं के तहत कटोत्रा किया जाना सुनिश्ति किया जावेगा। संबंधित विभाग में पंजीयन आवश्यक है।
3. निविदा प्राप्त होने पर प्रत्येक देयक में से शासन व्दारा निर्देशित समस्त कर जैसे आयकर, जी.एस.टी. इत्यादि काटे जावेंगे।
4. धरोहर राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जमा किये डिमाण्ड ड्राफ्ट जो वरिष्ठ लेखाधिकारी म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि. **इंदौर** के पक्ष में देय हो, जमा कराई जाने पर ही स्वीकार की जावेगी। बिना धरोहर राशि के निविदायें विचार योग्य नही होंगी। यदि मण्डल/कंपनी में अपंजीकृत ठेकेदारों को ठेका आवंटित होता है तो उन्हें अनुबंध निष्पादन के समय ठेके के मूल्य के 5 प्रतिशत अतिरिक्त धरोहर राशि जमा (प्रारंभिक धरोहर राशि के अलावा) करना होगी तथा पंजीकृत ठेकेदारों को भी उल्लेखित धरोहर राशि जमा कराना अनिवार्य होंगी।
5. पूर्ण निविदा दस्तावेज बयाने की राशि सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निर्धारित दिनांक को 15:00 बजे तक लिये जाएंगे एवं उसी दिन 15:30 बजे ठेकेदारों के समक्ष या उनके अधिकृत व्यक्तियों के सम्मुख खोले जाएंगे।
6. निविदा बेचने की अंतिम तिथी/जमा करने की तिथी को कार्यालयीन अवकाश होने की स्थिती में कार्यवाही अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर की जावेगी। निविदा बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत या पूर्णतः/आंशिक रूप से अमान्य/रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
7. यदि वांछिक श्रेणी के ठेकेदार निविदा हेतु रूचि नहीं लेते हैं तो अनुभवी/अपंजीकृत ठेकेदारों को भी निविदा जारी/विक्रय की जावेगी।
8. विस्तृत विविरण प्राप्त करने हेतु कार्य दिवस के कार्यालयीन समय में इस कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

अधीक्षण यंत्री (परी. एवं संचार)
म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.नागदा

प्रतिलिपीः–

01. मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार) म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि. जबलपुर।
02. कार्यपालन यंत्री परीक्षण संभाग म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि. नागदा/रतलाम/नीमच।
03. सहायक यंत्री (सिविल) कार्या. अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार) वृत्त म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि. उज्जैन।
04. नोटिस बोर्ड।